

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम,सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक: एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट-II/2076

दिनांक : 29.9.2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट-II/9241 दिनांक 15.03.2022 द्वारा इन्दिरा रसोईयों में निर्धारित भोजन वितरण की क्षमता से 50 प्रतिशत अतिरिक्त भोजन क्षमता बढ़ाने की अस्थायी अनुमति दिनांक 30 सितम्बर 2022 तक प्रदान की गई है।

उक्त अनुमति की अवधि आगामी 06 माह दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक बढ़ायी जाती है।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट-II/2077-85

दिनांक : 29/9/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति समस्त राज।
6. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त राजस्थान।
9. रसोई संचालक, इन्दिरा रसोई योजना, समस्त राजस्थान।


(नवीन भारद्वाज)
स्टेट नोडल अधिकारी